उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या– 1304/07(130)–2016/XXVII(1)/2018
देहरादून : दिनांकः 12 नवम्बर, 2018

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–828/**XXVII(1)**/2008, दिनांक **04.12.2008** के अनुसार जारी **7.00 प्रतिशत** उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण, 2018 की बकाया शेष राशि की **11 दिसम्बर, 2018** तक देय समस्त ब्याज के साथ सममूल्य पर चुकौती **12 दिसम्बर, 2018** को की जायेगी। किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त तारीख को परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत छुट्टी घोषित किये जाने पर उस राज्य में स्थित अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा उक्त ऋण की चुकौती पिछले कार्य दिवस को की जायेगी। उक्त ऋण पर दिनांक **12 दिसम्बर, 2018** से और उसके बाद कोई ब्याज उपचित नहीं होगा।

2– गवर्नमेंट सेक्युरिटीज रेग्यूलेशन्स, 2007 के सब–रेग्यूलेशन 24 (2) और 24 (3) के अनुसार पेमेंट ऑफ मेच्युरिटी प्रोसीड्स पंजीकृत सरकारी प्रतिभूति धारक की सबसिडियरी जनरल लेजर अथवा कन्सटियूट सबसिडियरी जनरल लेजर एकाउन्ट अथवा स्टाक सार्टिफिकेट के रूप में रखी है, का भुगतान सभी सुसंगत विशिष्ठताओं को सम्मिलित करते हुए पे आर्डर के माध्यम से उसके बैंक खाते अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्रेडिट कर दी जायेगी। प्रतिभूतियों के भुगतान के सम्बन्ध में मूल सब्सक्राइबर अथवा सबसिक्वेंट होल्डर्स सरकारी प्रतिभूतियों को, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित बैंक, कोषागार और उपकोषागार अथवा स्टेट बैंक की शाखा अथवा इसकी सबसिडियरी ब्रांच जहाँ पर ब्याज के भुगतान हेतु मुखांकित/पंजीकृत हों, जैसी भी स्थिति हो, सुसंगत विशिष्ठताओं के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

3– नियत तारीख को चुकौती में सुविधा हो, इस दृष्टि से **7.00 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण 2018** के धारकों को चाहिए कि वे अपनी प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, कोषागार, उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक की शाखा, जहाँ वे ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हों, के पास 20 दिन पहले प्रस्तुत करें। चुकौती के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां उनके पीछे की ओर निम्न प्रकार से विधिवत् उन्मोचित की जानी चाहिए :

"प्रमाण पत्र पर देय मूलधन प्राप्त हुआ"।

4– यह विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर जहां भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक की शाखा द्वारा कोषागार कार्य किया जाता है। वहां यदि प्रतिभूतियां स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में हों तो उन्हें सम्बन्धित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि कोषागार या उप कोषागार में।

(E):-Finance-01-Press Communique.doc

Scanned by CamScanner

5— जहां पर प्रतिभूतियां भुगतान के लिए मुखांकित की गयी हों उससे इतर स्थानों पर भुगतान के इच्छुक धारकों को चाहिए कि वे उन्हें विधिवत् उन्मोचित करते हुए सम्बन्धित लोक ऋण कार्यालय के पास पंजीकृत एवं बीमाकृत डाक द्वारा भेज दें। उक्त लोक ऋण कार्यालय किसी कोषागार/उप कोषागार या उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी कोषागार के कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंकों की शाखा में देय ड्राफ्ट जारी करते हुए भुगतान करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

Scanned by CamScanner

FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
FINANCE SECTION-1
No.- 1304/07(130)-2016/XXVII(1)/2018
Dehradun, Dated : 12 November, 2018

PRESS COMMUNIQUE

It is notified for general information that the outstanding balance of **7.00%** Uttarakhand State Development Loan 2018 issued in terms of the Government of Uttarakhand, Finance Department Notification No. 828/XXVII(1)/2008 dated **December 04, 2008,** will be repaid at par on **December 12, 2018** with interest due up to and including **December 11, 2018**. In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day. No interest will accrue on the loan from and after **December 12, 2018**.

2. As per sub- regulation 24 (2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enfaced/ registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank account.

3. However, in the absence of relevant particulars of bank account/mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of **7.00% Uttarakhand, State Development Loan 2018,** should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment, duly discharged on the reverse there of as under:-

"Received the Principal due on the Certificate".

(E):-Finance-01-Press Communique.doc

Scanned by CamScanner

4. It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India the securities, if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or sub-treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than where the securities have been enfaced for payment should send them duly discharged to the Public Debt Office concerned by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury/ Sub- Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Uttarakhand.

(Amit Singh Negi)
Secretary
Government of Uttarakhand

Scanned by CamScanner